न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी–सु श्री अंजु शर्मा , आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या–597 / 2010 वाद

दिनांक 31.03.2021

अनवान

1. अनिल कुमार पिता भेरूलाल बोहरा महाजन वयस्क निवासी बानसेन तहसील भदेसर
2. जतन देवी उर्फ जतन बाई बेवा सुनिल कुमार बोहरा महाजन वयस्क निवासी बानसेन तहसील भदेसर
3. कुमारी श्वेता पिता सुनिल कुमार बोहरा महाजन ना0बा0जरिये सरपरस्त माता श्रीमति जतनबाई बेवा सुनिल कुमार बोहर महाजन वयस्क निवासी बानसेन तहसील भदेसर

.....वादीगण

|| बनाम ||

1. देव जी पिता गंगाराम गाडरी वयस्क निवासी बानसेन तहसील भदेसर
2. शंकरलाल पिता हजारी गाडरी वयस्क निवासी बानसेन तहसील भदेसर
3. सरकार जरिये तहसीलदार साहब,भदेसर जिला चित्तौडगढ़
4. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार भादसोडा

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53, 188 आरटीए

उपस्थित–श्री सुरेन्द्र कुमार औझा वकील वादी

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188 की धारा के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया–वाके मौजा बानसेन की खाता संख्या 134 की आराजी नम्बर 332, 334, 335, 336, 337, 338, कुल किता 6 कुल रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा एवं खाता संख्या 138 की आराजी नम्बर 333, 465, हैक्टर स्थित है। जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर सभी अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है किन्तु विधिवत बंटवारा नहीं होने से कमी रकबे व लगान को लेकर विवाद होता है इसलिए माफिक कब्जा व हिस्सा बंटवाडा करया जावे ।

प्रकरण बाद कार्यवाही दिनांक 13–12–2013 को प्राथमिक स्तर पर डिकी किया गया तथा विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार भदेसर को कमीशनर नियुक्त किया गया ।

उक्त आदेश से असन्तुष्ठ होकर विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चितौडगढ में अपील प्रस्तुत की जाने पर माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी चित्तौडगढ द्वारा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 16:10:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned by TapScanner

निर्णय दिनांक 19.03.2015 से इस न्यायालय द्वारा पारीत प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 13–12–2013 में संशोधन कर विवादित आराजी मौजा बानसेन के खाता संख्या 134 देवजी पिता गंगाराम 1/3 शंकरलाल पिता हजारी 1/3 अनिल पिता भेरूलाल 1/6 श्वेता कुमार पिता सुनील 1/6 हिस्सा और खाता संख्या 138 में देवजी 1/3 शंकरलाल 1/3 अनिल पिता भेरूलाल जतनबाई पत्नि सुनील कुमार 1/3 हिस्से की घोषित की गई तथा आदेश 18 से 21 अनुपालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार भदेसर को निर्देशित किया गया ।

उक्त प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में कमीशनर तहसीलदार भदेसर द्वारा जरिये पत्र संख्या 213 दिनांक 12.3.2014 से विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसमें वर्णित किया गया कि भू प्रबन्ध की कार्यवाही हो जाने से खाता सख्या 134, 138 जिसके हाल खाता संख्या 123, 122, 3 कायम किये जाने से पूर्व हा0न0 332, 334, 335, 336, 337, 338, तथा 333, 465 के नवीन आराजी नम्बर 491, 493, 495, 494, तथा 492, 718 कायम किये गये जिसका विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जो संलग्न पत्रावली है ।

कमीशनर तहसीलदार भदेसर द्वारा पुनः अपील संख्या 17/2014 निर्णय दिनांक 19.3.15 की पालना सुनिश्चित किये जाने एवं मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन तैयार कर पत्र संख्या 496 दिनांक 23.05.2017 को प्रस्तुत किया गया ।

तत्पश्चात् प्रतिवादी देवजी , गंगाराम, शंकरलाल की ओर से धारा 151 जा0दी0 बाबत प्रारम्भिक आपत्ति का प्रार्थना पत्र दिनांक 09–10–2017 को प्रस्तुत किया गया जिसका वादी की ओर कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया । प्रा0प0 151 एवं प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23.05.2017 दोनों पर बहस सुनी गयी ।

पक्षकारों को सुनवाई हेतु राजस्व लोक अदालत केम्प दिनांक 27–6–2018 के सूचना पत्र से तलब किया गया । वक्त शिविर बानसेन दिनांक 27–6–2018 में उपस्थित नहीं हुए न ही आदिनांक न्यायालय हाजा में उपस्थिति दर्ज कराई गई । विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया । तहसीलदार भदेसर द्वारा दो बार विभाजन प्रस्ताव क्रमश दिनांक 12.3.2014 एवं दिनांक 23.05.2017 को प्रस्तुत गए है दिनांक 23.05.2017 के विभाजन प्रस्ताव से स्पष्ट प्रतीत है कि कमीशनर तहसीलदार भदेसर द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय के निर्णय दिनांक 19.03.2015 में दिये गये निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है किन्तु विपक्षीगण देवजी एवं शंकरलाल मौके पर उपस्थित होते हुए भी विभाजन प्रस्ताव असहमति व्यक्त करते हुए हस्ताक्षर नहीं किये गये । न ही विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गई । तत्पश्चात् दिनांक 09–10–2017 को प्रा0प0 धारा 151 जा. दी0 प्रारंभिक आपत्ति का पेश किया गया जो लगभग 5 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त प्रस्तुत किया गया है । उक्त प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी0 पेश करने के बाद प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में 3 वर्ष 5 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त कभी भी भाग नहीं लिया गया न्यायालय की ओर से राजस्व लोक

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.04.01 16:10:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

अदालत केम्प दिनांक 27.6.2018 को केम्प मुख्यालय बानसेन पर प्रतिवादीगण को उपस्थिति के सूचना पत्र तामील होने के उपरान्त भी उपस्थिति नहीं दी गई केवल वादीगण के अधिवक्ता ही उपस्थित हुए जिन्होंने कथन किया कि विपक्षीगण द्वारा केवल मात्र प्रकरण के लम्बित करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0दी0 का प्रस्तुत किया है जो सारहीन है प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव तैयार हो जाने के 03 वर्ष05 माह तक विपक्षीगण द्वारा भाग नहीं लिया गया जिससे भी साबित होता है कि विपक्षीगण की भावना वाद के अन्तिम निर्णय को लम्बित कराना है जबकि तहसीलदार भदेसर द्वारा विभाजन प्रस्ताव सभी निर्देशों एवं नियम 18 से 21 की पालना करते हुए ही तैयार किया गया है। जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि उक्त श्यूड्यल अनुसार फर्द बंटवारा तरतीब दिया गया जो बंटवाडा बनाया गया है बंटवारा शियूड्ल के अनुसार कीमत (वैलयू) बराबर पर दर्शित होती है एवं मौके पर कब्जे अनुसार बंटवाडा किया गया ताि बंटवाडे के अनुसार भी मौके पर मौतबिरानों ने कीमत(वैलयू) का अंकन बराबर है जो विभाजन टिनेन्सी एक्ट के नियम 20 क के अनुसार किया गया है सिड्यूल कक्2 व 3 के भागीदारान ने ऐसा जाहिर किया है कि बंटवाडे में जमीन बराबर चाहते है जिसमें अनिल कुमार वगेराह का कहना है कि अगर नये सिरे से बंटवारा बराबर करना चाहते है तो मैं शंकरलाल गाडरी की जगह बीच में रहना चाहता हूं जिसमें मेरे कब्जे वाली जमीन अकृषि योग्य थी जिसकों कृषि योग्य बनाने हेतु कंकरीली पत्थरीली जमीन होने से मैनें एक हजार ट्रेंक्टर ट्रीप मिट्टी डलवा कर जमीन को कृषि योग्य बनाई गई है फिर भी मेरी कब्जा शुदा जमीन छोड कर बीच में हिस्सा की जमीन की कजगह 1/3 हिस्सा लेने को तैयार हूं यह तथ्य मौतबीरान के समक्ष जाहिर किया गया मौके पर श्री देवजी पि0 गंगाराम एवं शंकरलाल पि0 हजारी गाडी उपस्थित जो अनिल कुमार वगैराह को हिस्सा 1/3 1/3 करने एवं जमीन को बना कब्जा बदलने के लिए तैयार नहीं होने से फर्द बंटवाडे पर हस्ताक्षर किये बिना ही चले गये एवं अनिल कुमार वगैराह ने अपने कब्जे की भूमि पक्का मकान निर्माण एवं मवेशियान के लिए पान ी की प्याउ बना रखी है। विभाजन प्रस्ताव माफिक आदेश तैयार किया गया है जिससे हम वादीगण संतुष्ठ है। न्यायालय वादीगण के अधिवक्ता के कथन से सहमत है।

अतः प्रतिवादीगण को प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0दी0 बाबत प्रारम्भिक आपत्ति सारहीन होने से खारीज किया जाता है तथा हस्ब फर्द बंटवारा दिनांक 09'05.2017 अनुसार वाद वादीगण अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वाद वर्णित मौजा बानसेन की विवादित आराजीयात खाता सख्या 134, 138 जिसके हाल खाता संख्या 123, 122, 3 कायम किये जाने से पूर्व आ0न0 332, 334, 335, 336, 337, 338, तथा 333, 465 के नवीन आराजी नम्बर 491, 493, 495, 494, तथा 492, 718 का पक्षकारान् के मध्य भूमि कीमत, एवं कब्जे को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है तथा अलग अलग खातदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौडगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 16:10:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

क स.	नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
1	अनिल कुमार पिता भेरूलाल जतनदेवी उर्फ जतनबाई पत्नि स्व. अनिल कुमार स्वेता कुमार पिता सुनिल कुमार बोहरा महाजन सा0देह के हिस्से में रहेंगी	494 495	0.19 1.48	आबादी– 39.96
	योग	किता 2	1.67	39.96
2	शंकरलाल पिता हजारी गाडरी सा.देह के हिस्से में रहेगी	493	1.43	51.48
	योग	किता 1	1.43	51.48
3	देवजी पिता गंगाराम गाडरी सा.देह के हिस्से मे रहेगो	491 492 718	0.97 0.04 0.27	34.92 – 7.29
	योग	किता 3	0.07	0.21

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे । इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब़ किया जावे । निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजु शर्मा)
उपखण्डअधिकारी
भदेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 16:10:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner